न्यायालय उपखण्डाधिकारी बसेडी
प्रकरण संख्या 07/20

1. सैंगर शिक्षा एवम् विकास संस्थान बसेडी जरिये सचिव पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र रामभरोसी शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम नहचौली तहसील बसेडी जिला धौलपुर

— वादीगण

बनाम्

1. अनारदेवी पत्नी रामभरोसी
2. गीतादेवी पत्नी रामप्रकाश
3. ममता पत्नी रामबली
4. शशि पत्नी रामअवतार
5. रवि पुत्र रामभरोसी
6. रामकुमार पुत्र रामभरोसी

} जाति ब्राहम्ण निवासी नहचौली तहसील बसेडी जिला धौलपुर (राज0)

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी बहैसियत भू0 स्वामी

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अधीन धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट बावत् दुरस्ती इन्द्राज

पीठासीन अधिकारी—प्यारेलाल सौठवाल, आर.ए.एस.

वकील वादी — श्री दिलीप शर्मा एडवोकेट

वकील प्रतिवादी — श्री बनवारी पाराशर एडवोकेट

निर्णय दिनांकः— 19.03.2020

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सैगंर शिक्षा एवम् विकास संस्थान बसेडी जरिये सचिव पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र रामभरोसी शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम नहचौली तहसील बसेडी जिला धौलपुर द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम नगला दरेवशा तहसील बसेडी के खसरा नम्बर 1175 रकवा 0.1100 ,खसरा नम्बर 1176 रकवा 0.2200 है0 को वादी द्वारा दिनांक 24.10.2008 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार से कय किया गया था एवं खरीद के उपरान्त से वादी वादग्रस्त आराजी पर काबिज है। उक्त विक्रय पत्र में केता वादी की संस्था का नाम गलत होने पर दिनांक 24.07.2015 को पंजीकृत शुद्विपत्र किया गया एवं वादी उक्त संस्था में सचिव होने के नाते वाद प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत है। वादी द्वारा उक्त विक्रय पत्र एवं शुद्विपत्र को संबन्धित पटवारी हल्का को नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु दिया गया था। परन्तु नामांन्तकरण दर्ज होने से पूर्व ही प्रतिवादी संख्या एक द्वारा अपने हिस्से की आराजी का हकत्याग प्रतिवादी संख्या 5 एवं प्रतिवादी संख्या 6 व वादी के पक्ष में वहिस्सा बराबर कर दिया । उक्त हक त्याग दस्तावेज का नामांन्तकरण भी दर्ज हो गया है। वादी

बराबर कर दिया । उक्त हक त्याग दस्तावेज का नामांन्तकरण भी दर्ज हो गया है। वादी सैंगर शिक्षा एवम् विकास संस्थान बसेडी जरिये सचिव पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र रामभरोसी शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम नहचौली तहसील बसेडी जिला धौलपुर ने वाद पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि वादी को विवादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में तद्नुसार इन्द्राज किया जावे। एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का मजामहत व मदाखलत बेजा नही करे।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को सम्मन जारी कर दिनांक 20.02.2020 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । न्यायालय में प्रकरण की तारीख पेशी दिनांक 20.02.2020 को वादी एवं प्रतिवादीगण ने एक राजीनामा मय पहचान दस्तावेज प्रस्तुत किया गया कि वादी एवं प्रतिवादीगण में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है एवं वादी को विवादित अराजी का खातेदार घोषित किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है।

अतः दावा वादी जरिये राजीनामा डिक्री किया जाकर वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से नायव तहसीलदार बसेडी (राजकीय पैरोकार) ने जबाव दिनांक 16.03.2020 को पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। हमने बादपत्र,संलग्न राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2075 –78 मिलान क्षेत्रफल वादी के पक्ष में विप्रार्थीगण द्वारा किये गये विक्रय पत्र, राजीनामा दिनांक 20.02.2020 एवं जबाव राजकीय पैरोकार का अवलोकन किया । उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने वादी के पक्ष में खसरा नम्बर 782 रकवा 0.17 विस्वा व खसरा नम्बर 781/2070 रकवा 0.09 विस्वा कुल रकवा 1 वीघा 6 विस्वा का विक्रय पत्र दिनांक 24.10.2008 को पंजीवद्व करवाया था जिसका नामान्तकरण दर्ज नही हुआ है।

प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती अनारदेवी पत्नी रामभरोसी ने जमाबन्दी सवंत् 2066–2069 में दर्ज अपने सम्पूर्ण हिस्से का हकत्याग अपने पुत्रगण रामकुमार, पुष्पेन्द्र, रवि पुत्रगण रामभरोसी के पक्ष में दिनांक 14.11.2013 को किया है जबकि पूर्व में ही प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जमांबन्दी सवंत् 2054 – 2057 के खाता संख्या 2 के खसरा नम्बरान 782 रकवा 0.17 विस्वा व खसरा नम्बरान 781/2070 रकवा 0.19 विस्वा में अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4, के साथ मिलकर वादी को कर दिया था। प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नम्बरान 1175 रकवा 0.1100 है0 व 1176 रकवा 0.2200 है0 जो कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2075– 2078 के खाता संख्या 82 (पुराना खाता संख्या 11) में दर्ज है।

अतः ग्राम नगला दरवेशा की जमाबन्दी संवत् 2075 – 2078 के खाता संख्या 82 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 1175 रकवा 0.1100 है0 किस्म नहरी दोयम व खसरा नम्बर 1176 रकवा 0.2200 है0 किस्म नहरी दोयम का खातेदार वादी सैंगर शिक्षा एवम् विकास संस्थान बसेडी जरिये सचिव पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र रामभरोसी शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम नहचौली तहसील बसेडी जिला धौलपुर को घोषित किया जावे। गीता पत्नी रामप्रकाश हिस्सा 1/4 ,पुष्पेन्द्र पुत्र रामभरोसी हिस्सा 1/12 ,ममता पत्नी रामवली हिस्सा 1/4 ,रवि पुत्र रामभरोसी हिस्सा 1/12 ,रामकुमार पुत्र रामभरोसी हिस्सा 1/12, शशी पत्नी रामअवतार हिस्सा 1/4 पंजीकृज दस्तावे दिनांक 20.02.2020 एवं राजीनामा दिनांक 22.02.2020 सैगंर शिक्षा एवम् विकास संस्थान बसेडी जरिये सचिव पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र रामभरोसी शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम नहचौली तहसील बसेडी जिला धौलपुर को खातेदार घोषित किया जाता है। अतः इस खाते के इन्दाज में गीता पत्नी रामप्रकाश ,पुष्पेन्द्र पुत्र रामभरोसी ,ममता पत्नी रामवली ,रवि पुत्र रामभरोसी ,रामकुमार पुत्र रामभरोसी ,शशी पत्नी रामअवतार का नाम हजफ

बसेडी (धौलपुर) राज.

किया जाकर वादी सैंगर शिक्षा एवम् विकास संस्थान बसेडी जरिये सचिव पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र रामभरोसी शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम नहचौली तहसील बसेडी जिला धौलपुर का नाम अंकित किया जावे।

तद्नुसार रिकार्ड में अमल किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 19.03.2020 को यह फैंसला मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(प्यारेलाल सौठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
बसेडी